पंचायत समिति पंचरूखी विकास खण्ड पंचरूखी जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2024

भाग—एक

1. प्रस्तावना :—

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत पंचायत समिति पंचरूखी विकास खण्ड पंचरूखी जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत समिति पंचरूखी में निम्नलिखित अध्यक्ष/ कार्यकारी अधिकारी कार्यरत थे :—

अध्यक्षः—

1	श्री सुरेन्द्र कुमार	01.04.2022 से लगातार

कार्यकारी अधिकारी :—

1.	श्री राजेश्वर भाटिया	01.04.2021 से 03.06.2022
2.	सुश्री शिखा	04.06.2022 से 31.07.2022
3.	श्री सिकन्दर	05.08.2022 से 13.10.2023
4.	श्री रणविजय कटोच	14.10.2023 से 02.02.2024
5.	श्री केसर सिंह राणा	03.02.2024 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :—

पंचायत समिति पंचरूखी के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—.

क्र0सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4	रोकड़ बही एवं बैंक शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही एवं बैक अन्तशेषों में अन्तर पाया जाना।	19.84
2	6	दुकानों के किराए की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना।	6.83
3	8	निर्माण कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना।	13.24
4	9	अनियमित/अनुचित भुगतान करना।	0.43

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गई। पंचायत समिति द्वारा लम्बित पैरों के समायोजन हेतु कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई, जोकि चिन्तनीय विषय है। अतः पंचायत समिति द्वारा लम्बित पैरों के समायोजन हेतु विशेष कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें ताकि अधिक से अधिक पैरों का समायोजन सम्भव हो सके । वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2015 से 31.03.2019

क्र0 सं0	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत ।
1	5(ख)	अनिर्णीत ।
2	9	अनिर्णीत ।
3	13	अनिर्णीत ।

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2019 से 31.03.2021

क्र0 सं0	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत ।
1	3	निर्णीत, (मांग व प्राप्ति रजिस्टर पृष्ठ संख्या 234 से अंकेक्षण शुल्क की प्राप्ति की पुष्टि उपरान्त)
2	4 (1) (i)	अनिर्णीत ।

3	4 (1) (ii)	अनिर्णीत ।
4	4 (1) (iii)	अनिर्णीत ।
5	4 (2) (i)	अनिर्णीत ।
6	4 (2) (ii)	अनिर्णीत ।
7	4 (2) (iii)	अनिर्णीत ।
8	4 (2) (iv)	अनिर्णीत ।
9	4 (3) (i)	अनिर्णीत ।
10	4 (3) (ii)	अनिर्णीत ।
11	5	अनिर्णीत ।
12	6	अनिर्णीत ।
13	7	अनिर्णीत ।
14	8	अनिर्णीत ।
15	9	अनिर्णीत ।
16	10	अनिर्णीत ।
17	11	अनिर्णीत ।
18	12	अनिर्णीत ।

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :—

पंचायत समिति पंचरूखी, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 23.12.2024 से 07.01.2025 तक पंचायत समिति पंचरूखी के कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :—

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021—2022	01/2022	03/2022
2022—2023	04/2022	06/2022
2023—2024	03/2024	07/2023

अस्वीकरण (Disclaimer):- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत समिति के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. **अंकेक्षण शुल्क :–**

पंचायत समिति पंचरूखी, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹7,200/– बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्रापट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनांक 07.01.2025 द्वारा अनुरोध किया गया।

4. **वित्तीय स्थिति :–**

पंचायत समिति पंचरूखी, विकास खण्ड पंचरूखी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत समिति के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(1) अनुदान :–

वर्ष	अथशेष	स्वः स्त्रौत	अनुदान	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021–22	14361044	147834	25929641	485722	40924241	27787282	13136959
2022–23	13136959	230635	26927553	636744	40931891	27659310	13272581
2023–24	13272581	275627	39886428	743214	54177850	35420013	18757837

बैंक समाधान विवरणी :–

A/c No. 20054011534	KCCB Panchrukhi	OWN SOURCES	422502.5
A/c No. 20054006534	KCCB Panchrukhi	GIA	8741779.5
A/c No. 6412000100091110	PNB Panchrukhi	GIA SALARY	11124793.49
		TOTAL	**20289075.49**
	Cash Book Balance on 31.03.2024		18757837

DIFFERENCE between Bank & Cash Book as on 31.03.2024 1531238.49

(2) 15वाँ वित्तायोग :–

वर्ष	अथशेष	अनुदान	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021–22	2942440	5017153	0	7959593	2179114	5780479
2022–23	5780479	6140584	0	11921063	3825075	8095988
2023–24	8095988	836751	0	8932739	4934348	3998391

बैंक समाधान विवरणी :–

	Axis Bank		
A/C N0. 919010067553905	Palampur		4450848
		TOTAL	**4450848**
Cash Book Balance on 31.03.2022 15th FC			
			3998391
		DIFFERENCE	**452457**

4.1 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप दिनांक 31.03.2024 को स्वः–स्त्रौत व अनुदानों की रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेषों में ₹15.31 लाख व 15वाँ वित्तायोग की रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेषों में ₹4.52 लाख का अन्तर पाया जाना:–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15 (10) के अनुसार पंचायत समिति की रोकड़ बही के शेषों से बैंक खातों के शेषों से मिलान करना अनिवार्य है।

पंचायत समिति की रोकड़ बही के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जोकि नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। फलस्वरूप दिनांक 31.03.2024 को स्वः–स्त्रोत तथा अन्य स्कीमों की रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तिम शेष का अन्तर ₹ 15,31,238/– पाया गया, जो पंचायत समिति के लेखों की सच्ची एवं सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है ।

इसके अतिरिक्त 15वें वित्तायोग की रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक का ₹4,52,457/– अन्तर पाया गया।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 08 दिनांक 07.01.2025 द्वारा उक्त अन्तर बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पंचायत समिति द्वारा पत्र संख्या 4248 दिनांक 08.01.2025 के माध्यम से सूचित किया कि रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों का मिलान करके आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा ।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार उक्त अन्तर का यथाशीघ्र मिलान किया जाए एवं तदानुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना सुनिश्चित करें ।

5. **पंचायत समिति की अतिरिक्त राशि को नियमानुसार निवेश न करना :—**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 26 के प्रावधानों अनुसार पंचायत समिति अतिरिक्त निधियों (स्वः स्त्रोत) को पंचायत समिति द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु निवेशित किया जाना अपेक्षित है।

जबकि पैरा 4 में उल्लेखित वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि पंचायत समिति द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को बचत खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज अर्जित करने हेतु निवेशित नहीं किया गया था, जो न केवल उक्त नियम प्रावधानों की अवहेलना है, अपितु सीमित के वित्तीय स्त्रोतों के कुशल प्रबन्धन की कमी को भी दर्शाता है एवं गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्ज अंकेक्षणापत्ति के उपरान्त भी इस सम्दर्भ में कोई सुधारात्मक कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 09 दिनांक 07.01.2025 द्वारा पंचायत समिति को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 4248 दिनांक 08.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि पंचायत समिति बैठक में चर्चा उपरान्त पारित प्रस्ताव अनुसार आगामी लेखा अंकेक्षण में अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्रस्ताव पारित करके बचत खातों की अपेक्षा ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु साविध में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा निवेश किये जाने की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती

राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 27(1) के प्रारूप–1 में अपेक्षित निवेश रजिस्टर का रख रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

6. **दुकानों से किराये के रूप में ₹ 6.83 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–**

निदेशक एवं विशेष सचिव पंचायती राज विभाग, हि0प्र0–9 के आदेशानुसार जारी कार्यालय आदेश पृष्ठांकन संख्या पी0सी0एच–एचसी(7)(10) 180–30301–30436 दिनांक 17.09.08 अनुसार ग्राम पंचायतों के व्यावसायिक परिसरों/भवनों को किराये पर देने के लिए निर्धारित शर्तों का पालन किया जाना अपेक्षित है तथा हि0 प्र0 पचांयती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2022 के नियम 34(2) के प्रावधानानुसार पंचायत समिति को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जायेगी ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत समिति पंचरूखी में दिनांक 31.03.2024 को दुकानों के रूप में **परिशिष्ट–2** में दिये गये विवरणानुसार **₹** 6,82,611/–की राशि की वसूली शेष थी, जिसकी वसूली हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किये गये थे। इसके अतिरिक्त दुकानों के किराए की राशि को किराया आबंटन पत्र की शर्त संख्या 3 के अनुसार हर तीन वर्ष की अवधि के पश्चात संशोधन किया जायेगा व 10 प्रतिशत की बढ़ौत्तरी के साथ किराये में वृद्वि की जानी अपेक्षित थी, जिसे निर्धारित अवधि के पश्चात नहीं बढ़ाया गया था, यदि किराये की बकाया राशि इसी दर से बढ़ती रही तो इसकी वसूली करना असंभव हो जायेगा। इससे स्पष्ट है कि पंचायत समिति अपने राजस्व की बढ़ौतरी एवं नियमानुसार नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 07.01.2025 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति पंचरूखी को उक्त वित्तीय अनियमितता बारे अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 4248 दिनांक 08.01.20254 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया कि दुकानदारों को नोटिस जारी कर आगामी अंकेक्षण तक अनवर्तन प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

अतः बढती पंचायत समिति के बकाया राशि के कारणों से अवगत करवाते हुये नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा पूर्व उल्लेखित कार्यालय आदेश में वर्णित शर्तों की अनुपालना

सुनिश्चित न करने हेतु मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में वस्तुस्थिति अनुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाने हेतु विशेष रूप से लाया जाता है।

7. **लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम की अपेक्षा सीधे तौर पर विज्ञापनों हेतु किये गये भुगतान से 15 प्रतिशत कमीशन की कटौती न करने के कारण सरकारी राजस्व ₹894/–की वित्तीय हानि ।**

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग हि0प्र0 के पत्र संख्या 1-PR-H(F)74(APP)/2013 दिनांक 05.07.2013 में दिये गये दिशा निर्देशों अनुसार समस्त विभागों/बोर्ड/कॉर्पोरेशन द्वारा सभी प्रकार के विज्ञापन लोक सम्पर्क विभाग हि0प्र0 के माध्यम से छपवाये जाने आवश्यक है तथा विज्ञापन सूचना, लोक सम्पर्क विभाग हि0प्र0 के माध्यम से न छपवाये जाने की स्थिति में विज्ञापन हेतु भुगतान की जाने वाली राशि में से 15 प्रतिशत कमीशन के रूप में कटौती की जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत समिति द्वारा विज्ञापन छपवाने हेतु निम्न विवरणानुसार ₹5,960/– भुगतान विभिन्न फर्मों को किया गया था तथा यह राशि सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के माध्यम से व्यय न करने के कारण ₹894/– परोक्ष रूप से हानि हुई है :–

क्र0सं0	वा0 सं0 व दिनांक	समाचार पत्र का नाम	विज्ञापन की तिथि	बिल संख्या व दिनांक	बिल की राशि (₹)	15 की दर से छूट की राशि (₹)	भुगतान की गई राशि जीएसटी सहित (₹)
1.		दिव्य हिमाचल	01.01.22	21/D/015857, 01-01-22	1539	272	1811
2.	06, 16.08.23	हिन्द समाचार	15.08.22	1005363891, 15-05-22	1827	322	2149
3.		जगरण प्रकाशन	04.02.23	DMZ302000018 04.02.23	1700	300	2000
					5066	894	5960

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 07.01.2025 द्वारा इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 4248 दिनांक 08.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया कि विज्ञापनों हेतु जो भुगतान से 15 प्रतिशत की कटौती की छूट प्राप्त हानी थी, लेकिन जानकारी के अभाव में हुआ है भविष्य में इसका ध्यान रखा जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत नियमानुसार आवश्यक अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये।

8. ₹13.24 लाख के निर्माण कार्यों/अन्य खर्चों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करनाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पचांयत को दिये गये अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है जिसके लिए अनुदान मंजूर किये गये हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किये हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में चयनित माह के दौरान विकास खण्ड पंचरूखी की विभिन्न पंचायतों को **परिशिष्ट–3** के अनुसार ₹13,23,800/– विभिन्न प्रयोजनों हेतु जारी किये गये थे लेकिन उक्त जारी अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये गये। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनांक 07.01.2025 द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 4248 दिनांक 08.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया कि उक्त कार्य प्रगति पर हैं तथा सम्बन्धित अभिलेख प्राप्त होने पर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार शीघ्र वाँछित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।

9. ₹0.43 लाख की राशि का अनुचित भुगतान ।

अवधि 2021–22 से 2023–24 के अंकेक्षण के दौरान पाया कि रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 94 दिनांक 31.07.2023 नगर निगम पालमपुर को उनके बिल संख्या 072

दिनांक 16.03.2023 द्वारा पंचायत समिति की पालमपुर स्थित दुकानो के एवज में सम्पत्ति कर के रूप में ₹ 43107/– का भुगतान किया गया दर्शाया गया था। पालमपुर स्थित दुकानों के इकरारनामें अनुसार वर्ष 1990 से 1992 के बीच दुकानों का किरया ₹55/– से ₹500/– तक प्रतिमाह की दर से निर्धारित किया गया था। इतने वर्ष की अवधि उपरान्त भी इकरारनामों का संशोधन नहीं किया गया है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 13 दिनांक 07.01.2025 द्वारा इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 4248 दिनांक 08.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया कि सम्बन्धित मामला पंचायत समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा व उसके अनुसार जो भी प्रस्ताव पारित होगा उसके अनुसार आगामी कार्यवाही कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत नियमानुसार आवश्यक अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये ।

10. स्थापना जाँच रजिस्टर वेतन रजिस्टर (वेतन रजिस्टर) तैयार न करने बारेः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 58 के प्रावधानानुसार स्थापना बिल जाँच रजिस्टर का रख–रखाव किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण अवधि 01.04.2021 से 31.03.2024 के व्यय हेतु चयनित माह 01/22, 04/22 व 03/24 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि विकास खण्ड सुलह के पंचायत सचिवों एवं तकनीकी सहायकों के वेतन के भुगतान के रख रखाव हेतु स्थापना रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था जिसके अभाव में गत वर्षों में विभिन्न कर्मचारियों को वेतन के रूप भुगतान की जा रही राशियों की सत्यापना संभव नहीं हो सकी। स्थापना रजिस्टर तैयार न करना एक गम्भीर अनियमितता है। जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 14 दिनांक 07.01.2025 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पंचायत समिति द्वारा पत्र संख्या 4248 दिनांक 08.01.2025 के माध्यम से सूचित किया कि सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शीघ्रातिशीघ्र नियमानुसार वेतन रजिस्टर का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

11. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत समिति द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

1. अनुदान रजिस्टर ।
2. यात्रा भत्ता बिल का जाँच पड़ताल रजिस्टर ।
3. अग्रिम रजिस्टर ।
4. चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल रजिस्टर ।
5. किराया मांग प्राप्ति रजिस्टर ।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

13. **लघु आपित्त विवरणिका** :– इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

14. **निष्कर्ष** :—लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
दूरभाष 0177—2620046

का०/प्रति
1691—1694 19 MAR 2025

पृष्ठांकन संख्या:— फिन(एल०ए०)एच(पंच)(15) (2) 232/2019 खण्ड—1 दिनांक शिमला—09
प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० कुसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा जिला काँगड़ा हि०प्र०।

पंजीकृत 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
दूरभाष 0177—2620046

का०/प्रति

परिशिष्ट–1

अकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या: 4 के सन्दर्भ में

Finacial Position of own sources & Grant in Aid of Panchayat Samiti PANCHRUKHI. for the year 2021-22

YEAR	Opening Balance	OWN SOURC	GIA	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2021-22	14361044	147834	25929641	485722	40924241	27787282	13136959
2022-23	13136959	230635	26927553	636744	40931891	27659310	13272581
2022-23	13272581	275627	39886428	743214	54177850	35420013	18757837

Balance as per Bank on 31.03.2024
own sources & Grant in Aid

A/c No. 20054011534	KCCB Panchrukhi	OWN SOURCES	422502.5
A/c No. 20054006534	KCCB Panchrukhi	GIA	8741779.5
A/c No. 6412000100091110	PNB Panchrukhi	GIA SALARY	11124793.49
TOTAL			**20289075.49**

Balance as per cash book on 31.03.2024

Cash Book Balance on 31.03.2024	18757837
DIFFERENCE between Bank & Cash Book as on 31.03.2024	-1531238.49

Chief Executive Officer (PS)
Cum-Block Development Officer
Panchrukhi, Distt. Kangra (H.P.)

Finacial Position of Panchayat Samiti Panchrukhi						
15th FC						
Years	Opening Balance	Grant	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2021-22	2942440	5017153	0	7959593	2179114	5780479
2022-23	5780479	6140584	0	11921063	3825075	8095988
2023-24	8095988	836751	0	8932739	4934348	3998391

Balance as per Bank on 31.03.24

A/C NO. 919010067553905	Axis Bank Palampur	4450848
	TOTAL	**4450848**
Cash Book Balance on 31.03.2022 15th FC		**3998391**
	DIFFERENCE	**452457**

Chief Executive Officer (PS)
Cum-Block Development Officer
Panchrukhi, Distt. Kangra (H.P.)

परिशिष्ट-2

(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6 के सन्दर्भ में)

Outstanding Rent detail:

S.N.	Year	Opening Balance	During the year	Total	Receipt	Balance
1	2021-2022	469935	368940	838875	227850	611025
2	2022-2023	611025	368940	979965	310651	669314
3	2023-2024	669314	368940	1038254	355643	682611

Chief Executive Officer (PS)
Cum-Block Development Officer
Panchrukhi, Distt. Kangra (H.P.)

परिशिष्ट-3
(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 8 के संदर्भ में)

Sr. No.	GP Name	Name of work	Month	Head	Amount	Voucher no.	Remarks
1	Upper Rajot	**GP Upper Rajot 5 no benches in Public places (PS)**	**March ,2022**	15th FC	20000	XVFC/2022-23/P/71	
2	Bhirdi	Bhirdi for Water cooler Panchaytghar Bhirdi (PS)	**March ,2022**	15th FC	32000	XVFC/2022-23/P/72	
3	Gadiyara	**GP Gadiyara as Const water majehnu Pran chand etc (PS)**	**March ,2022**	15th FC	65000	XVFC/2022-23/P/73	
4	Sagoor	Const of Pulily suah nalla GP Sagoor (PS)	**March ,2022**	15th FC	90000	XVFC/2022-23/P/74	
5	Bhirdi	GP Bhirdi as Cost of Jeepable road Bhirdi wn 4 (PS)	**March ,2022**	15th FC	40000	XVFC/2022-23/P/75	
6	Bhirdi	Instt of water tanki near lower Bazar Bhirdi	June ,2022	15th FC	50000	XVFC/2022-23/P/10	
7	Bhirdi	Instt of seven no benches GP Bhirdi	June ,2022	15th FC	28000	XVFC/2022-23/P/11	
8	Bhirdi	Instt of Solar Light four no.GP Bhirdi Panchayat Samiti	June ,2022	15th FC	57600	XVFC/2022-23/P/12	
9	Padhirkhar	Const of Kuhal Raksha Devi House to Bihari Lal GP Padhirkhar Panchayat Samiti	June ,2022	15th FC	50000	XVFC/2022-23/P/13	
10	Terhail	Water Drain Mangalsen land to Sheela Devi House W.N. 4 GP Terhail	June ,2022	15th FC	70000	XVFC/2022-23/P/14	
11	Terhail	Const of Kuhal Vinod Ravi Kumar Land towards WN 4 GP Trerhail Panchayat Samiti	June ,2022	15th FC	95000	XVFC/2022-23/P/15	
12	Terhail	Instt of Solar Light GP Terhail	June ,2022	15th FC	14400	XVFC/2022-23/P/16	
13	Kailashpur	Constt of Sanitation Drain WN 3 Vivek Kumar House to Jitender House towards GP Kailashpur	June ,2022	15th FC	70000	XVFC/2022-23/P/17	
14	Kailashpur	Cont of Park near Dhaar public SSS Kailaspur GP Kailaspur	June ,2022	15th FC	95000	XVFC/2022-23/P/18	
15	Tikkar Khas	Cont of Pull wn 5 Lakayra Basti GP Tikkar Khas	June ,2022	15th FC	90000	XVFC/2022-23/P/19	
16	Tikkar Khas	Const of Park near community Bhawan W.N 3 GP Tikkar khas	June ,2022	15th FC	25000	XVFC/2022-23/P/20	
17	Ladoh	Cont of water Drain Raghunath Gulshan house wn 5 GP Ladoh	June ,2022	15th FC	50000	XVFC/2022-23/P/21	
18	Ladoh	const of water tank WN 7	June ,2022	15th FC	50000	XVFC/2022-23/P/22	
19	Ladoh	Const of Path Surinder House to Ram Singh House W.N. 5 GP Ladoh	June ,2022	15th FC	50000	XVFC/2022-23/P/23	
20	Gadiara	Cont of Path and pully link Road to Dhani Ram House GP Gadiara (PS)	June ,2022	15th FC	80000	XVFC/2022-23/P/24	
21	Badhear	Instt of Solar Light 4 no GP Badhear	June ,2022	15th FC	58000	XVFC/2022-23/P/25	
22	Check	Intt of Solar Light CP Check (PS)	June ,2022	15th FC	14400	XVFC/2022-23/P/26	
23	Gadiara	Renovation of Bowari Hem Raj wm3	June ,2022	15th FC	60000	XVFC/2022-23/P/27	
24	Molichak	Cont of water Drain Santosh kumar hosue to RajMal House	June ,2022	15th FC	55000	XVFC/2022-23/P/28	
25	Molichak	Instt of Solar Light near Sonki Ram Kanta Devi etc GP Molichak	June ,2022	15th FC	14400	XVFC/2022-23/P/29	
					1323800		

Chief Executive Officer (PS)
Cum-Block Development Officer
Panchrukhi, Distt. Kangra (H.P.)

66